आवश्यक

संख्या: 58/2019/3353/12-2-2019-14/2016 टी0सी0

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 30 नवम्बर, 2019

विषय: खरीफ मौसम में फसलों के अवशेष को जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2019 को सुनवाई के दौरान दिये गये निर्देशों के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या: 42/2019/2997/12-2-2019-14/2016 दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 एवं शासनादेश संख्या: एन0जी0टी0-567/81-7-2019-9 (रिट)/2016 दिनांक 04 नवम्बर, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा खरीफ मौसम में फसल अवशेष को जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए जनपद स्तर पर सचल दस्ते का गठन करने, ग्रामवार व क्लस्टरवार कर्मचारियों को तैनात करने, ग्राम प्रधान एवं संबंधित लेखपाल को फसल अवशेष जलाये जाने के सम्बन्ध में जिम्मेदार बनाये जाने आदि के निर्देश दिये गये थे।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2019 को सुनवाई के दौरान उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के बावजूद भी पराली/फसल अवशेष जलाये जाने की घटनायें प्रकाश में आने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निम्नवत Observation दिये हैं:-

> "Time has come to require the State Governments to explain why they should not be asked to compensate the persons who are being affected by bad air quality. Obviously, the State is run by the administration, why liablility should not be imposed for such a tort on the concerned machinery also of the various States which are failing to discharge their basic duties."

इस प्रकार मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कडी अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है एवं इस प्रकरण में प्रशासनिक अधिकारियों यथा जिलाधिकारी एवं अन्य संबंधित उच्चाधिकारियों के विरूद्ध जुर्माने की कार्यवाही के साथ-साथ उनके विरूद्ध अन्य कडी कार्यवाही की जा सकती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. अत: कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि आपके जनपद में फसल अवशेष जलाने से संबंधित घटनायें कदापि न हों। यदि किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो प्रत्येक घटना का अनुश्रवण दैनिक रूप से किया जाए और प्रत्येक घटना के क्रम में संबंधित अधिकारियों व अन्य दोषी व्यक्तियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अपेक्षित विधिक कार्यवाही सहित कडी कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही की दैनिक सूचना निर्धारित/संलग्न प्रारूप पर दैनिक अनुश्रवण हेतु बनायी गयी मेल आई0डी0 ngtcompcs@gmail.com एवं कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के ई-मेल आई0डी0 dirag@nic.in पर प्रतिदिन भेजना सुनिश्चित करें।

कृपया उक्त निर्देशों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या:58/2019/3353(1)/12-2-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कृत कार्यवाही की आख्या प्रतिदिन विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फसल अवशेष/कृषि अपशिष्ट के जलाये जाने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण

क्र0सं0	घटना का प्रकार				क्षेत्र/स्थान		दोषी के विरूद्ध कार्यवाही		की गयी कार्यवाही का प्रकार			
	धान की पराली जलाना	गन्ने की पराली जलाना	कूडा अवशेष जलाना	कोई अन्य घटना	नगरीय	ग्रामीण	अधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही (नाम/ पदनाम सहित)	किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध की गयी कार्यवाही	विभागीय कार्यवाही	एफ0आई0 आर0	जुर्माना	अन्य समुचित कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।